संख्या–585 मु0मं0/सत्तर–2–2005–2(166)/2002

प्रेषक,

राजीव कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(2) कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2005

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सेक्शन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में नये मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या–3411/सत्तर–2–2002–2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 द्वारा किया गया है।

कार्यक्रम वर्ष 2009-10।

5—2(166)/2002

21 अक्टूबर, 2005

...खोले जाने तथा ...स्तर के अतिरिक्त ...का निर्धारण।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र ...विद्यालयों/संस्थानों ...करने हेतु सामान्य ...कक्ष/प्रयोगशालाओं ...नये पाठ्यक्रमों को ...में फर्नीचर एवं ...स्नातकोत्तर स्तर के ...के सम्बन्ध में नये ...02–2(166)/2002, ...02–2(166)/2002,

2– नये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों की अभिवृद्धि के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता एवं उपयुक्त स्तर की अवस्थापना सुविधाएं बनाये रख नितान्त आवश्यक है। उपरिसंदर्भित शासनादेश में निर्धारित भूमि के म औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं अन्य निकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थापि वाले महाविद्यालयों के लिए भूमि का मानक एवं अन्य व्यवहारिक पहलुओं का नहीं किया गया है। इसी प्रकार नये महाविद्यालय की स्थापना व नये विष जाने के सम्बन्ध में संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता एवं एक स्नातक स्तर के अधिकतम विषयों में अनापत्ति/सम्बद्धता दिये जाने आदि परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नये महाविद्यालयों में उपयुक्त अवस्थापना सुविधा बनाये रखने एवं उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित लिए सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उपरिसंदर्भित शासनादे निर्धारित भूमि, आर्थिक स्थिति एवं पाठ्यक्रमों की संख्या के निर्धारण के स निम्नलिखित आदेश देते हैं :–

(I) भूमि का मानक

(क) नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उनके द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों/संस 'नगर निगम क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मानक तथा इन प्राधिकरणों के क्षेत्र से इतर क्षेत्र में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों हेतु 'अन्य लिए निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।

(ख) नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा के अतिरिक्त ऐसे विकास प्राधिक नगर निगम स्थित हैं, वहां के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित महाविद्यालय/संस्थान हेतु 'नगर निगम क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मा होंगे।

(ग) ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगरपालिका परिषद स्थित है प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों/सं 'नगरपालिका (परिषद) क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे

(घ) महाविद्यालय के भूमि के सम्बन्ध में कई भू–खण्ड होने

में सभी भूखण्डों के एक ही स्थान पर और परस्पर सटे होने का सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) विशेष परिस्थितियों में महाविद्यालय के भूखण्डों के मध्य भाग से चकरोट, पहुँच मार्ग, छोटी नहर आदि विद्यमान होने पर अपवादस्वरूप दूसरी ओर क्रीडा–स्थल/खेल का मैदान बनाये जाने की छूट इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि छात्रों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है। किसी भी स्थिति में रेल मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग अथवा पोषक नहर के दोनों ओर स्थित भूखण्डों को सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ मान्य नहीं किया जायेगा।

(छ) किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव के समय सम्बन्धित सोसाइटी/ट्रस्ट/निकाय के नाम भूमि अनिवार्य रूप से होगी। राजस्व अधिकारी के रूप में खतौनी तहसीलदार द्वारा सत्यापित होगी तथा प्रस्ताव के साथ खतौनी की मूल प्रति शासन की संदर्भित की जायेगी।

(ज) मानकानुसार अपेक्षित भूमि प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होने पर ही सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। पैतृक संस्था अपने नाम की भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय को विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा।

(झ) महाविद्यालय के नगर नियम/नगरपालिका परिषद क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित निकायों से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा।

(ट) विगत अनेक वर्षों से संचालित होने वाले महाविद्यालयों के नाम अभिलेखों में भूमि न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को यह–निर्देश किया जाता है कि वे महाविद्यालय के प्रयोग में आ रही भूमि का महाविद्यालय के नाम अविलम्ब विधितः अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

(ठ) महाविद्यालयों के प्रस्ताव के साथ भूमि का क्षेत्रफल प्रत्येक दशा में वर्ग मीटर में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

का सक्षम राजस्व
नक्शा मूल रूप में

ों के मध्य भाग से
स्वरूप दूसरी ओर
के अधीन प्रदान की
ली गयी है। किसी
के दोनों ओर स्थित
।

नापत्ति प्रदान किये
के नाम भूमि अनिवार्य
द्वारा सत्यापित होगी
न की जायेगी।
लय के नाम राजस्व
व पर विचार किया
पर महाविद्यालय को
को मान्य नहीं किया

परिषद क्षेत्र में स्थित
के साथ अनिवार्य रूप

हाविद्यालयों के नाम
य/महाविद्यालय के
के प्रयोग में आ रही
ना सुनिश्चित करें।
फल प्रत्येक दशा में

(II) आर्थिक स्थिति का मानकः–

संस्था/सोसाइटी की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लि संकाय/विषयवार संस्था के खाते में न्यूनतम नकद धनराशि का मानक निम्न होगाः–

क्रं0	संकाय/विषय	संस्था के खाते के लि निर्धारित धनराशि
1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय क सात विषय हेतु	रु0 5.00 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रु0 1.00 लाख
3.	स्नातक स्तर के वाणिज्य संकाय हेतु	रु. 7.00 लाख
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषय हेतु	रु0 10.00 लाख
5.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम हेतु	रु0 5.00 लाख
6.	स्नातक स्तर के कृषि स्नातक/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 /बी0पी0ई0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु0 10.00 लाख
7.	विधि (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु0 10.00 लाख
8.	विधि (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु0 10.00 लाख
9.	एम0एड0/एम0पी0एड0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु0 15.00 लाख
10.	बी0एड0/बी0पी0एड0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु0 15.00 लाख
11.	बी0ए0–बी0एड0/बी0एल0एड0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु0 10.00 लाख

विश्वविद्यालय अनापत्ति के प्रस्ताव के साथ पूर्व से संचालित सोस ट्रस्ट/कम्पनी/निकाय की विगत तीन वित्तीय वर्षों की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट ग्रामीण बैलेन्स शीट/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसाइटी की वार्षिक आय का प्रमाण तथा बैंक जमा के रूप में बैंक का अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणस्वरूप कर

(III) पाठ्यक्रम का मानकः–

नये महाविद्यालय के लिए अधिकतम पाठ्यक्रम का मानक निम्नवत् ह

(क) नये महाविद्यालयों को एक सत्र में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में से अधिकतम किन्हीं दो संकायों में ही अनापत्ति/सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता (स्थायी) प्राप्त होने के पश्चात् ही नये संकाय/विषय की अनापत्ति प्रदान किये जाने विचार किया जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की स्वीकृति महाविद्यालय को तभी प्रदान की जायेगी जब उन पाठ्यक्रमों में पूर्व से स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हों और उनको सम्बद्धता (स्थायी) प्राप्त हो। जिन विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित नहीं होंगे उनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनापत्ति/स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। स्नातकोत्तर स्तर पर एक सत्र में अधिकतम दो विषयों के लिए ही अनापत्ति दिये जाने पर विचार किया जायेगा। पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता (स्थायी) प्राप्त होने पर ही अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की अनापत्ति/स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

भवदीय
(राजीव कुमार)
सचिव

संख्या–585 मु0म0(1)/सत्तर–2–2005–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(राजीव कुमार)
सचिव